झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 56 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED

अपीलकर्त्ता श्री धर्मेन्द्र कु० चौधरी, मुखिया, लालगढ़ ग्रा० पंचायत, प्रखण्ड- विश्रामपुर, पलामू।

बनाम

प्रतिवादी DSO, पलामू ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	श्री धर्मेन्द्र कुमार चौधरी, मुखिया, ग्राम–पंचायत लालगढ़, प्रखण्ड–विश्रामपुर, पलामू का परिवाद पत्र आयोग के पलामू ज़िला भ्रमण के दौरान आयोजित जन सुनवाई में प्राप्त हुआ। प्राप्त परिवाद पत्र में परिवदी द्वारा इन्द्रा महिला समूह लालगढ़ के विरूद्ध राशन कार्डधारियों से अपने मशीन में ठेपा लगवा लिये जाने और माह मई एवं जून का PMGKAY का चावल वितरण नहीं किये जाने की शिकायत दर्ज की गई है। यह भी उल्लेखित है कि लाभुक को कम राशन दिया जाता है। तथा ई–पॉश मशिन से निकलने वाली पर्ची नहीं दी जाती है।यह भी कि परिवादी द्वारा पणन पदाधिकारी, विश्रामपुर के पास इसकी शिकायत की गई थी किन्तु लाभुकों को अनाज नहीं मिला। प्रस्तुत मामले की गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा इसपर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू एवं पणन पदाधिकारी, विश्रामपुर को प्रतिवादी बनाते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–08.09.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–08-09-2022 को रखें। 16.8.22 **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। 16/08/22 **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\New Microsoft Office Word Document (2).docx

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
08.09.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, विश्रामपुर उपस्थित। आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। सुनवाई के दौरान प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू माननीय मंत्री द्वारा आहूत बैठक में भाग लेने के कारण उपस्थित नहीं हो पाये। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता का कहना है कि आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद जून माह का राशन उन्हें एवं अन्य लाभुकों को उपलब्ध करा दिया गया है। किन्तु मई माह का राशन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि मई माह का राशन भी शिकायतकर्ता एवं अन्य सभी लाभुकों को 7 दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस बीच शिकायतकर्ता ने कहा कि आयोग. में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी डीलर द्वारा 5 कि0ग्रा0 राशन के स्थान पर 4.5 कि0ग्रा0 ही राशन दिया जा रहा है। ऐसे में आयोग प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि ऐसा करने वाले डीलर के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें अन्यथा आयोग प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने को बाध्य होगा। यदि 7 दिनों के अन्दर लाभुकों को राशन उपलब्ध नहीं कराया गया तो आयोग को सूचित करें। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx27	